सं.ए-45011/2/2019-प्रशा.III

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

****

नई दिल्ली, दिनांक 21 फरवरी, 2019

कार्यालय ज्ञापन

मुझे आर्थिक कार्य विभाग से संबंधित जनवरी, 2019 माह के दौरान महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के संबंध में मासिक सार के अवर्गीकृत भाग की प्रति परिचालित करने का निदेश हुआ है।

के. राजारामन

(के. राजारामन)

अपर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष 23093230/5012

सेवा में,

1. केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
3. भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव, 6, मौलाना आजाद मार्ग, नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली।
5. प्रधानमंत्री के निजी सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
6. मत्रिमंडल सचिव के निजी सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
7. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
8. सभी सदस्य, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
9. सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली।
   सचिव (आर्थिक कार्य) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (राजस्व) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (व्यय) के प्रधान निजी सचिव, वित्त राज्य मंत्री के विशेष कार्याधिकारी।
10. मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
11. अपर सचिव (श्री ए. गिरिधर), मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
12. अपर सचिव (एफबी एंड एडीबी), आर्थिक कार्य विभाग।
13. डा. सी.एस. महापात्रा, अपर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग।
14. श्री संजीव सान्याल, प्रधान आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
15. आर्थिक कार्य विभाग के सभी प्रभागाध्यक्ष।
    संयुक्त सचिव (बजट)/संयुक्त सचिव (सीएंडसी/यूएनएंडओएमआई)/संयुक्त सचिव (आईपीएफ)/संयुक्त सचिव (एफएम)/सलाहकार (आईईआर)/ संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (वित्त)/सीएएए।
16. सुश्री राजश्री रे, सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
17. डा. शशांक सक्सेना, सलाहकार (एफएसआरएल), आर्थिक कार्य विभाग।
18. श्री अरूण कुमार, सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
19. श्री आर.सी. गुप्ता, विशेष कार्याधिकारी (एफएटीएफ), आर्थिक कार्य विभाग।
20. मुख्य आर्थिक सलाहकार के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, आर्थिक कार्य विभाग।
21. गार्ड फाइल - 2019

सं. ए.-45011/2/2019-प्रशा.III

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

विषयः जनवरी, 2019 माह के दौरान आर्थिक कार्य विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के संबंध में मासिक सार।

1. वृहत-आर्थिक सिंहावलोकन

1.1 केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दरें सतत बनी रहेंगी और चालू बाजार मूल्य 2018-19 में क्रमशः 7.2% और 12.3% होना अनुमानित है।

1.2 केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए 31 जनवरी, 2019 को राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण के संशोधित अनुमान जारी किए। वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 की जीडीपी की संशोधित संवृद्धि दरें क्रमशः 8.0%, 8.2% और 7.2% हैं।

1.3 वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 की आधारभूत सकल मूल्यवर्धित की संवृद्धि दरें संशोधित होकर क्रमशः 8.0%, 7.9% और 6.9% हैं।

1.4 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (नई श्रृंखला-संयुक्त) पर आधारित *हैडलाइन मुद्रास्फीति* दिसम्बर, 2017 में 5.2% की तुलना में दिसम्बर, 2018 में 2.2% थी। *थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई)* पर आधारित मुद्रास्फीति दिसम्बर, 2017 में 3.6% की तुलना में दिसम्बर, 2018 में 3.8% थी।

1.5 भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6 महीने से भी ज्यादा समय तक 400 बिलियन डालर से कम रहने के बाद 1 फरवरी, 2019 की स्थिति के अनुसार 400 बिलियन अमरीकी डालर को पार कर गया।

1.6 अप्रैल-नवम्बर, 2018-19 की अवधि में संचयी आधार पर औद्योगिक संवृद्धि अप्रैल-नवम्बर, 2017-18 के दौरान हुई 3.2 प्रतिशत की संवृद्धि की तुलना में 5.0 प्रतिशत रही।

1.7 *आठ मुख्य उद्योगों* ने दिसम्बर, 2017 में 3.8 प्रतिशत की तुलना में दिसम्बर, 2018 में 2.6 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज की। अप्रैल से दिसम्बर, 2017-18 के दौरान 3.9 प्रतिशत की तुलना में मुख्य उद्योगों की बढ़त अप्रैल से दिसम्बर, 2018-19 के दौरान 4.8 प्रतिशत रही।

1.8 भारत का व्यापारिक माल निर्यात दिसम्बर, 2017 के दौरान 0.3% की बढ़त दर्शाते हुए 27.8 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में दिसम्बर, 2018 में 27.9 बिलियन अमरीकी डालर रहा। भारत का आयात दिसम्बर, 2017 में 42.0 बिलियन अमरीकी डालर के आयात मूल्य के स्तर की तुलना में 2.4 प्रतिशत गिरकर दिसम्बर, 2018 के दौरान 41.0 बिलियन अमरीकी डालर रह गया।

1.9 भारत का *तेल आयात* दिसम्बर, 2018 के दौरान 10.7 बिलियन अमरीकी डालर रहा जो कि दिसम्बर, 2017 में 10.4 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 3.2 प्रतिशत अधिक था। *व्यापार घाटा* दिसम्बर, 2017 के दौरान 14.2 बिलियन अमरीकी डालर के घाटे की तुलना में दिसम्बर, 2018 में 13.1 बिलियन अमरीकी डालर अनुमानित था। नवम्बर, 2018 के दौरान *सेवाओं का निर्यात और आयात* 16.7 बिलियन अमरीकी डालर और 10.1 बिलियन अमरीकी डालर रहा। सेवाओं में व्यापार शेष नवम्बर, 2018 में 6.6 बिलियन अमरीकी डालर अनुमानित था।

2. अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम

2.1 (क) भारत सरकार और जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) के बीच 18 जनवरी, 2019 को निम्न दो परियोजनाओं हेतु दो ऋण करारों पर हस्ताक्षर किए गए:

(i) 40.074 बिलियन जापानी येन की राशि से चेन्नई परिधीय रिंग रोड (चरण-I) का निर्माण।

(ii) भारत में सतत विकास लक्ष्यों की ओर जापान-भारत सहयोग कार्यों के कार्यक्रम पर 15,000 बिलियन जापानी येन।

(ख) पूणे मेट्रो रेल परियोजना हेतु 28 जनवरी, 2019 को भारत सरकार और एएफडी, फ्रांस के बीच 245 मिलियन यूरो के लिए रूपरेखा करार (ऋण करार) पर हस्ताक्षर किए गए। इस ऋण का उपयोग एमएएचए मेट्रो द्वारा 31.254 किमी. लम्बी मेट्रो रेल प्रणाली और मेट्रो कॉरिडोर सहित एकीकृत मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रणाली के निर्माण और प्रचालन हेतु किया जाएगा।

(ग) भारतीय निर्यात-आयात बैंक के माध्यम से निम्न चार ऋण श्रृंखलाएं देने के लिए अनुमोदन दिया गया - (i) क्यूबा सरकार को 75 एमडब्ल्यूपी फोटोवोल्टिक सौर पार्कों की संस्थापना के लिए 75 मिलियन अमरीकी डालर, (ii) मलावी सरकार को दक्षिण क्षेत्र जल बोर्ड के तहत पेयजल आपूर्ति स्कीमों के लिए 215.68 अमरीकी डालर, (iii) सूरीनाम सरकार को डी-केलसैन्ट्राले एन.वी. दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र के पुनर्स्थापन और उन्नयन हेतु 11.13 मिलियन अमरीकी डालर और (iv) एरिट्रिया सरकार को पूर्व की ऋण श्रृंखला के ब्याज बकायों का पूंजीकरण करके नई ऋण श्रृंखला के रूप में 5 मिलियन अमरीकी डालर।

(घ) जनवरी, 2019 माह में डीएफआईडी/एफएंडकंपनी के साथ निम्न समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	हस्ताक्षर की तिथि/वर्तमान स्थिति	परियोजना की अवधि	तकनीकी अनुदान सहायता (मिलियन पाउंड में)
1.	भारत-यूके वित्तीय सेवाएं तकनीकी सहायता कार्यक्रम - एफएंडकंपनी के साथ हस्ताक्षरित	दिनांक 9.1.2019 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए	2018-2023	6-8
2.	यूके-इंडिया फास्ट ट्रेक स्टार्ट-अप फंड (एफएसएफ) - डीएफआईडी के साथ हस्ताक्षरित	दिनांक 9.1.2019 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए	2018-2032	8(टीए*) 30(डीसीआई*)
3.	सस्टेनेबल सिटिज फॉर शेयर्ड	दिनांक 9.1.2019	2018-2023	9.5-10.5

	प्रोसपेरिटी (एससीएसपी) - एफएंडकंपनी के साथ नो कॉस्ट एक्सटेंशन हस्ताक्षरित	को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए		

*डीसीआई - विकास पूंजी निवेश

2.2 माह जनवरी, 2019 के दौरान निम्न बैठकें हुईः-

(क) सचिव, आर्थिक कार्य ने श्री काजुया नसिदा, अंतरराष्ट्रीय सहयोग ब्यूरो के महानिदेशक, विदेश मंत्री जापान सरकार के साथ 7 जनवरी, 2019 को नई दिल्ली में सरकारी विकास सहायता पर भारत - जापान रणनीतिक वार्ता की सहअध्यक्षता की।

(ख) दिनांक 22 जनवरी, 2019 को आर्थिक कार्य विभाग की निरीक्षण समिति की 91वीं बैठक हुई थी जिस पर विदेशी सहायता हेतु लगभग 19 परियोजनाओं पर विचार किया गया था।

(ग) अपर सचिव (एफबीएंडएडीबी) की अध्यक्षता में विश्व बैंक की चल रही परियोजनाओं की पुनरीक्षा बैठक डब्ल्यूबीजी के साथ 30 जनवरी, 2019 को हुई थी।

(घ) सलाहकार (आईईआर) ने 2019 ब्राजील की अध्यक्षता में 16 जनवरी, 2019 को पहले ब्रिक्स वित्त और केंद्रीय बैंक डिप्टियों के भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। सलाहकार (आईईआर) ने 17-18 जनवरी, 2019 को 2019 जापानी प्रेजीडेंसी के तहत पहली जी-20 वित्त और केंद्रीय बैंक डिप्टियों की बैठक और 19-20 जनवरी, 2019 को 2019 जापानी प्रेजीडेंसी के अंतर्गत पहली जी-20 शेरपा बैठक में भी भाग लिया था।

2.3 मंत्रिमंडल ने सुविधा के समग्र आकार के भीतर संचालित 400 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि के "स्टैंडबाई स्वैप" को शामिल करने हेतु "सार्क के सदस्य देशों हेतु मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था संबंधी रूपरेखा" में संशोधन के लिए 23.01.2019 को कार्योत्तर अनुमोदन दे दिया। अनुमोदित सार्क अदला-बदली रूपरेखा के भीतर "स्टैंडबाई स्वैप" को सम्मिलित करने से रूपरेखा में आवश्यक लचीलापन उपलब्ध कराएंगा और इससे भारत सार्क अदला-बदली रूपरेखा के भीतर प्रस्तावित वर्तमान सीमा से अधिक अदला-बदली राशि प्राप्त करने हेतु सार्क सदस्य देशों से इस समय आ रहे अनुरोधों के तत्काल उत्तर दे सकेगा।

2.4 भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत सरकार के पारमर्श से ए.पी. (डीआईआर श्रेणी) परिपत्र सं. 17 द्वारा व्यापार करने की सुविधा को और सुगम बनाने के लिए 16 जनवरी, 2019 को नए विदेशी वाणिज्यिक उधारों की रूपरेखा की घोषणा की है। यह 5 वर्ष या इससे अधिक के ईसीबी अवसंरचना हेतु अनिवार्य प्रतिरक्षा समाप्त करने की भी व्यवस्था करेगा।

2.5 सेबी ने जनहित निदेशकों को और अधिक शक्तियां देकर ऐसी कंपनियों के कार्यकलापों में प्रभावी निरीक्षण सुनिश्चित करने हेतु दिनांक 10.01.2019(1) के परिपत्र द्वारा स्टॉक एक्सचेंज और निक्षेपागार जैसी बाजार अवसंरचना संस्थाओं संबंधी समिति (एमआईआई) पर विनियामक समितियों के गठन को युक्तिसंगत बनाया है। सेबी ने यह भी निर्णय लिया है कि एक स्टॉक एक्सचेंज मान्यता प्राप्त करने के बाद पूर्व के न्यूनतम 50 सदस्यों की आवश्यकता के स्थान पर न्यूनतम 25 व्यापार सदस्यों के साथ व्यापारिक कार्यकलाप शुरू कर सकता है। इसी प्रकार से एक नव मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम भी पूर्व की न्यूनतम 25 समाशोधन सदस्यों की आवश्यकता के स्थान पर अब न्यूनतम 10 समाशोधन सदस्यों के साथ समाशोधन और निपटान कार्यकलापों को शुरू कर सकता है।

3. **न्यूनतम सरकार, अधिकतम अभिशासन**

विशेषकर, सूचना के प्रस्तुतीकरण में आईसीटी के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

4. **एसीसी के निदेशों/आदेशों का पालन न किया जाना**

शून्य।

5. **माह के दौरान स्वीकृत किए गए एफडीआई प्रस्ताव और विभाग में अनुमोदन हेतु लंबित एफडीआई प्रस्तावों की स्थिति**

स्वीकृत किए गएः 01

विभाग में अनुमोदन हेतु लंबितः 16

****